निगम ज्ञापन और नियम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवम् प्रशासन विश्वविद्यालय
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवम् प्रशासन विश्वविद्यालय, 2007

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवम् प्रशासन विश्वविद्यालय के लिए कुलसचिव, न्यूपा द्वारा प्रकाशित तथा बचन सिंह, बी–275, अवन्तिका सैक्टर–1 रोहिणी, नई दिल्ली द्वारा टाईपसेट होकर अनिल आफसेट एण्ड पैकेजिंग प्रा. लि., जवाहर नगर, नई दिल्ली में न्यूपा के प्रकाशन एकक द्वारा मुद्रित।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवम् प्रशासन विश्वविद्यालय का निगम ज्ञापन

(यू.जी.सी. एक्ट, 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित)

1. नाम:

संस्था का नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय होगा। यू.जी.सी. एक्ट 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित) भारत सरकार के अध्यादेश सं. एफ 9-16/2006 यू. 3 (अ) दिनांक 11 अगस्त 2006 के द्वारा जिसे इसके बाद इसको ''राष्ट्रीय विश्वविद्यालय'' कहा जायेगा।

2. कार्यालय :

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पंजीकृत कार्यालय इसके अपने भवन में रहेगा जो इस समय 17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016 में स्थित है:

3. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य नीचे दिये गये हैं:

(a) शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा संबंधित विषयों में सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(b) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य करना, तत्संबंधी अनुसंधान में सहायता करना, उसे प्रोत्साहित करना, तथा उस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करना साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की योजना निर्माण की तकनीकों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तुलनात्मक अध्ययन करना;

(c) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय के काम में लगे विभिन्न अभिकरणों में, संस्थाओं तथा कार्मिकों का शैक्षणिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से मार्गदर्शन करना,

(d) शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, तुलनात्मक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नीति–अनुसंधान, लैंगिक शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव, शिक्षा तथा भूमंडलीकरण, शैक्षिक प्रबंधन तथा सूचना प्रणाली इत्यादि में एम.फिल. पी.एच–डी की उपाधि तथा पोस्ट–डाक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करना;

(e) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सेवा और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी सभी प्रकार के विचारों तथा सूचनाओं के वितरण–केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(f) उक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में लेखों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के लेखन, मुद्रण ओर प्रकाशन की व्यवस्था करना और विशेष रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन पर एक पत्रिका का प्रकाशन करना;

(g) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के शिक्षा कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशालाओं, बैठकों, संगोष्ठियों तथा विवरण सत्रों का आयोजन करना;

(h) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को उनके अनुरोध पर देश तथा विदेश में परामर्श प्रदान करना;

(i) अध्यापक–प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालयों तथा कालेज के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(j) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीति–निर्धारण के कार्य से संबंद्ध सहित अन्य सभी शीर्षस्थ व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों; संगोष्ठियों तथा सामूहिक चर्चाओं का आयोजन करना;

(k) अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों को परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना;

(l) उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य अभिकरणों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ यथावश्यक सहयोग करना जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय

प्रबंधन तथा प्रशासन संस्थाएं और भारत तथा विदेश स्थित अन्य सहबद्ध संस्था शामिल हैं;

(m) अन्य देशों, विशेषकर एशियाई क्षेत्र के देशों में उनके अनुरोध पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा तत्संबंधी कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग करना;

(n) विश्वविद्यालय के उक्त उद्देश्यों को आगे बढाने के दृष्टि से अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और शैक्षिक पुरस्कार देना;

(o) गणमान्य शिक्षाविदों को शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अधिमान्य सदस्यताएं प्रदत्त करना;

(p) समुदाय के विकास के लिये योगदान हेतु अतिरिक्त भित्ति अध्ययनों, कार्यक्रमों तथा क्षेत्र अध्ययन गतिविधियों का संचालन करना।

(q) वांछित उद्देश्यों के लिये अधिगम की उन शाखाओं में अनुदेशनात्मक, अनुसंधान तथा विस्तार सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रचार-प्रसार, तथा छात्रों एवम अध्यापकों को पाठ्यक्रम के पुनर्गठन, अध्यापन तथा अधिगम की नई तकनीकों एवम व्यक्तित्व के एकीकृत विकास, विभिन्न विषयों में अध्ययन, अंतर-शास्त्रीय अध्ययन तथा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नवीन विचारों के लिये आवश्यक सुविधाएं तथा परिवेश प्रदान करना;

(r) उपर्युक्त कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों को वर्तमान परिसर तथा इसकी शाखाओं में संचालित करना;

(s) अपने हितों को साधने हेतु वह सभी क्रिया-कलाप तथा व्यवहारों का अनुपालन जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक, वांछनीय या आनुषंगिक हों।

4. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कार्य :

अपने उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पास निम्नांकित शक्तियां होंगी।

i) अनुसंधान तथा अध्ययन पाठ्यक्रम की रूपरेखा एवम वितरण तथा अध्ययन की उन शाखाओं में अध्यापन जिन्हें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ज्ञान के अधिगम और प्रचार-प्रसार हेतु उपयुक्त समझता हो;

ii) अधिगम की उन शाखाओं में अनुदेश जिन्हें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करेगा तथा अनुसंधान एवम ज्ञान के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए प्रावधान रखेगा;

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा दशाओं के अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या फिर किसी अन्य परीक्षण के माध्यम से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तथा अन्य अकादमिक योग्यता प्रदान करना, उन व्यक्तियों को जिन्होंने निर्धारित पाठ्यक्रम या अनुसंधान को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया हो और समय-समय पर निर्धारित परीक्षा में सफलता या फिर किसी अन्य मानदंड को पूर्व कर लिया हो।

iv) अच्छे तथा पर्याप्त कारणों के मद्देनजर उपर्युक्त डिग्री, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट तथा अन्य अकादमिक उपाधियों को वापिस लेना;

v) शिक्षा की प्रौन्नति के लिये अतिरिक्त भित्ति अध्ययनों, विस्तार सेवाओं तथा अन्य उपायों को आरंभ का आयोजन;

vi) प्रबंधन बोर्ड के निर्णयानुसार मानद उपाधि तथा विशेष योग्यता प्रदान करना;

vii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के पदों को संस्थापित करना तथा प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायकत सहायक प्रोफेसर और अन्य पदों के लिये भर्ती करना।

viii) राष्ट्रीय विद्यालय में अकादमिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा लिपिक–वर्गीय या अन्य पदों का सृजन तथा इन पदों पर राष्ट्रीय विद्यालय के नियमों, अधिनियमों तथा उपनियमों के अनुरूप नियुक्ति करना;

ix) विशिष्ट अवधि के लिये अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त करना;

x) भारत तथा विदेश में अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण अथवा संस्था से सहयोग, संबद्धता ऐसे रूप में और ऐसे उद्देश्य से जिसका निर्धारण राष्ट्रीय विद्यालय करेगा;

xi) भारत तथा विदेश में अपने स्तर पर या फिर सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापना केंद्रीय तथा क्षेत्रीय परिसरों की स्थापना एवं रख–रखाव;

xii) समय–समय पर अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, इमेरिट्स प्रोफेसरशीप, विज़िटिंग, प्रोफेसरशीप, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, माननीय डिग्री, पुरस्कार तथा अन्य मेडल लागू तथा प्रदान करना जो समय–समय पर राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा निर्धारित दशा और नियमों के अनुरूप हो;

xiii) अनुसंधान तथा सलाहकारी सेवाओं के लिये प्रावधान रखना तथा इसी उद्देश्य के लिये अन्य संस्थानों और निकायों के साथ राष्ट्रीय विद्यालय की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करना;

xiv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मानदंड तैयार करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन तथा परीक्षा के अन्य विधि सम्मिलित हो;

xv) शुल्क तथा अन्य प्रभार की मांग करना;

xvi) कर्मचारियों तथा छात्रों के अनुशासन का नियंत्रण तथा पालन एवं उपयुक्त समझे जाने पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

xvii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेहत और आम कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

xviii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार धन, दान, प्रतिभूति प्राप्त तथा स्वीकार करना, जो कि रा.वि. के लिये वांछनीय हो;

xix) उपहार, खरीद, विनिमय, लीज़, किराये पर या फिर अन्य ढंग से तथा ग्रहण अथवा प्रबंध करके, कोई भी चल अथवा अचल संपत्ति जिसमें ट्रस्ट, धर्मस्थ संपत्ति सम्मिलित हो, जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता हेतु आवश्यक या सुलभ हो तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्माण, सुधार, नया रूप देना, तोड़ना तथा ऐसे भवनों का अधिग्रहण करना, कार्य तथा निर्माण राष्ट्रीय विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करना।

xx) अगर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक हो तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की किसी भी चल या अचल संपत्ति के सभी या किसी भी भाग को बेचना, विनिमय, किराये पर देना या रूपान्तरण करना या फिर बेचना, तथा इस संबंध में मा.सं.वि. मंत्रालय से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

xxi) समय-समय पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियम और अधिनियम के अनुसार किसी भी धन या प्रतिभूति के संबंध में निवेश या फिर कोई निर्णय लेना जिसकी तत्काल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अपनी किसी गतिविधि के लिये आवश्यकता न हो;

xxii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के आवश्यकता हेतु किसी भी चेक, नोट या अन्य परकाम्य प्रपत्र का आहरण, बनाना, स्वीकारना, पृष्ठांकित करना तथा छूट देना;

xxiii) आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 11(2), 11(3) तथा 11(5) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकाय निधि का निवेश जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो;

xxiv) संस्थान के अधिकार अथवा संपत्ति के रख-रखाव हेतु या फिर बेकार संपत्ति की प्रतिपूर्ति अथवा कर्मचारियों के हितों या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार जहां ऐसी निधि की आवश्यकता या रख-रखाव आवश्यक हो या सृजित करना हो तो किसी भी प्रकार की आरक्षित निधि, समग्र निधि निक्षेप निधि, भविष्य निधि, बीमा निधि या फिर कोई अन्य विशेष निधि, अवमूल्यन या फिर सुधार, विस्तार आदि;

xxv) प्रतिभूति या उसके बगैर या रेहन प्रतिभूति प्रभार, मालबंधन या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सभी या कुछ संपत्ति के लिये शपथ देते हुए या फिर किसी अन्य तरीके से धन उधार लेना या फिर उगाही करना, परन्तु इसके लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी कि यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक है;

xxvi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मामलों के संचालन हेतु नियमों, उपविधि, विनियमों का निर्माण करना तथा समय-समय पर नये नियमों को शामिल करना, संशोधन करना, परिवर्तित करना या निरस्त करना; तथा

xxvii) सभी कार्य करना जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी या फिर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक हो।

5. उद्देश्यों का विश्लेषण

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आम जनता के लाभ हेतु स्थापित की गई है। प्रारंभ में ही वर्णित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का विश्लेषण विधि में जनहित कहे जाने वाले उद्देश्यों तक ही नियंत्रित रहेगा।

6. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सभी के लिये खुला है:

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देश के सभी नस्ल, धर्म, जाति, पंथ, वर्ग, क्षेत्र के लिये खुला हुआ है। अध्यापक, छात्र, प्रशिक्षु के संबंध में या फिर किसी पद पर आसीन होने हेतु किसी भी प्रकार का धार्मिक विश्वास या मत से संबंधित शर्त लागू नहीं होगी।

ii) प्रवेश के लिये किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद यू.जी.सी. एक्ट 1956 के प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये शुल्क निर्धारण करेगी।

iv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भावना और उद्देश्य के विपरीत किसी भी प्रकार दान जो शर्तों या बाध्यता के रूप में हो स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियमों में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण के संबंध में होने वाले नीतिगत निर्णयों के अनुरूप बदलाव का अधिकार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पास होगा।

7. प्रवेश

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, अनुसंधान कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये उपयुक्त चयन प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का चयन विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप किया जायेगा, तथा विदेशी छात्रों के लिये प्रक्रिया या फिर योजनाएं, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदनानुसार रहेगी।

8. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आय तथा संपत्ति का प्रयोग केवल इसके उद्देश्यों का हित साधने हेतु होगा:

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होगा।

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी भी आय या संपत्ति का उपयोग इस निगम ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

9. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आय और संपत्ति का भुगतान या स्थानांतरण लाभ के लिये नहीं होगा:

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति या आय का भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिग्री भी व्यक्ति को भुगतान अथवा रूपांतरण जो वर्तमान में या फिर कभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का माध्यम रहा हो, केवल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सेवाएं देने या फिर यात्रा ठहरने या अन्य समान प्रभार की दशा में ही भुगतान या पारिश्रमिक दिया जायेगा।

10. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रबंधन

प्रबंधन बोर्ड के प्रथम सदस्यों का पदनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के नियमों के अंतर्गत, तद्नुसार विभिन्न पदाधिकारियों के नियमों के पुनर्गठन तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1800 के अंतर्गत निम्नांकित हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य हैं:

(a) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति – अध्यक्ष, पदेन सदस्य

(b) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अध्यक्ष के तीन नामांकित सदस्य

(c) मा. सं. वि. मंत्रालय का नामांकित एक सदस्य, भारत सरकार

(d) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामांकित एक सदस्य

(e) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय का डीन

(f) उपयुक्तता/उपयुक्तता एवं वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय के दो सदस्य (प्रोफेसर या सह–प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर)

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलसचिव, प्रबंधन बोर्ड का सचिव होगा।

11. समीक्षा तथा निरीक्षण:

i) मा.सं.वि. मंत्रालय तथा यू.जी.सी., मा.सं.वि. मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं जिसमें भवन, प्रयोगशाला, परीक्षाएं तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कार्य सम्मिलित हैं; और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी मामले पर अगर मा.सं.वि. मंत्रालय आवश्यक समझता है तो जांच का अधिकार भी रखते हैं।

ii) निरीक्षण के पश्चात् मा.सं.वि. मंत्रालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को निर्देश जारी कर सकता है, जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए बाध्य होंगी।

iii) अगर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मा.सं.वि. मंत्रालय के निर्देशों को अमल नहीं करता या फिर मा.सं.वि. मंत्रालय की अपेक्षाओं पर सफल नही उतरता तो संस्थान को प्रदान मानित विश्वविद्यालय का दर्जा वापिस लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय

(यू.जी.सी. एक्ट, 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित)

संशोधित नियम

1. लघु शीर्षक :

इन नियमों को 'राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय के नियम कहा जायेगा (यू.जी.सी. एक्ट 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित)

2. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पता :

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पंजीकृत कार्यालय इसके अपने भवन में रहेगा जो इस समय 17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016 में स्थित है।

3. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (यू.जी.सी. एक्ट 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित

(ii) 'प्राधिकरण' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्राधिकरण

(iii) 'संकाय' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संकाय

(iv) 'प्रबंधन बोर्ड' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड

(v) 'अकादमिक परिषद' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद

(vi) 'वित्त समिति' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की वित्त समिति

(vii) 'अध्ययन बोर्ड' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड

(viii) 'चयन समिति' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चयन समिति

(ix) 'केंद्रीय सरकार' से अभिप्राय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि. मंत्रालय) भारत सरकार;

(x) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष

(xi) 'कुलाधिपति' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति

(xii) 'कुलपति' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति

(xiii) 'वित्त अधिकारी' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी

(xiv) 'कुलसचिव' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलसचिव

(xv) 'कर्मचारियों' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कर्मचारी

4. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकारी

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात :

(i) अध्यक्ष;

(ii) कुलाधिपति;

(iii) कुलपति;

(iv) परिषद्;

(v) प्रबंधन बोर्ड;

(vi) अकादमिक परिषद;

(vii) वित्त समिति;

(viii) अध्ययन बोर्ड;

(ix) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिनको प्रबंधन बोर्ड ने संघ नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु नियुक्त किया है।

5. परिषद का संघटन तथा शक्तियां:

(1) परिषद का संघटन:

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की परिषद का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जाएगा

(i)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री	अध्यक्ष
(ii)	कुलपति	उपाध्यक्ष

पदेन सदस्य:

(iii)	भारत सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
(iv)	सचिव, भारत सरकार, विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	सदस्य
(v)	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
(vi)	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (एन.सी.ई.आर.टी.) नई दिल्ली,	सदस्य
(vii)	वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,	सदस्य

अन्य सदस्य:

(8 से 10)	अध्यक्ष द्वारा नामांकित तीन विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
(11 से 15)	अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए पांच सदस्य (प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य)	सदस्य
16.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित रा. वि. के संकाय का एक सदस्य	सदस्य

परिषद का सचिव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुल सचिव होगा।

छह सदस्य परिषद के कोरम का गठन करेंगे, अगर बैठक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित की जाती है और किसी कार्य हेतु निर्धारित तय समय और स्थान पर पुन: उसी कार्य के लिए आयोजित की जाती है, तो कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल

(i) अध्यक्ष के कार्यकाल का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) नियम 7(क) के अंतर्गत श्रेणी 8 से 15 तक के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा सेवानिवृत सदस्य केवल एक बार पुन: नामित किये जाने के पात्र होंगे।

(iii) नियम 7(क) के श्रेणी 16 के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय से नामित सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा सेवानिवृत्त सदस्य केवल एक बार पुन: नामित किए जाने का पात्र होगा।

(3) परिषद के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी यदि:

(i) उसकी मृत्यु हो जाये, त्याग पत्र देने पर, विक्षिप्त या दिवालिया हो जाए या चरित्रहीनता के अपराध में दोष सिद्ध हो जाए; या

(ii) अध्यक्ष से समुचित अवकाश लिए बिना परिषद की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे परंतु यह पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होगा; या

(iii) नियुक्ति अथवा कार्यालय के कारणों से पद की समाप्ति।

(4) परिषद की सदस्यता छोड़ने के लिए अध्यक्ष को लिखित रूप में त्यागपत्र देना होगा और वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यक्ष उसे स्वीकार न कर ले।

(5) परिषद के किसी सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति को नियम 7 के अंतर्गत भरा जायेगा तथा नामित व्यक्ति का कार्यकाल वही रहेगा, जितना कि पूर्व सदस्य का शेष था और जिसके स्थान पर उसको नामित किया गया हो।

(6) किसी व्यक्ति के, जो अपने पद के आधार पर परिषद का सदस्य बनने का पात्र होते हुए भी यदि किसी समय वह परिषद का सदस्य नहीं है और इसके बावजूद कि

परिषद में अन्य कोई पद रिक्त है चाहे वह नियुक्ति न होने के कारण रिक्त पड़ा हो या अन्य किस कारण से संदोष होने के कारण रिक्त हो या अन्य किसी कारण से रिक्त हो परिषद अपना कार्य करती रहेगी और परिषद के किसी कार्य तथा कार्यवाही पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि उसका कोई पद रिक्त है या परिषद के गठन में कोई दोष है।

(7) परिषद की कार्यवाही

जब भी आवश्यक होगा, अध्यक्ष परिषद की बैठक बुलाएंगे। वर्ष में कम से कम एक बार परिषद की बैठक बुलाई जाएगी।

(i) परिषद की सभी बैठकों की सूचना तिथि, समय और स्थान सहित प्रत्येक सदस्य की बैठक के निश्चित दिन से 15 दिन पूर्व भेज दी जाएगी। अध्यक्ष यदि उचित समझेंगे तो कारण बताते हुए इससे कम समय में भी बैठक बुला सकते हैं।

(ii) अध्यक्ष समेत परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। यदि किसी विषय पर पक्ष-विपक्ष में दिये गये मत बराबर विभाजित हो जाएं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। बैठक में सभी विवादास्पद विषयों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा।

(iii) परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के लिए चुनेंगे।

(iv) परिषद के सचिव बैठकों की कार्यवाही का रिकार्ड रखेंगे और उसकी एक प्रति भारत सरकार को भेजेंगे।

(v) अध्यक्ष किसी भी ऐसे मामले को जो उनके विचार से संदर्भ के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, उसे निर्णय के लिए भारत सरकार के पास भेज सकता है और भारत सरकार का निर्णय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और परिषद के लिए अनिवार्य होगा।

(8) परिषद के कार्य और शक्तियां:

यह परिषद का कार्य होगा कि वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करे जिन्हें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निगम ज्ञापन में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी परिषद की होगी तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई परिसीमाओं के अधीन करने का प्राधिकार होगा।

(9) अध्यक्ष की शक्तियां :

अध्यक्ष इन नियमों द्वारा निर्धारित या परिषद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गये कार्यों और कर्तव्यों का पालन करेंगे। वह जब भी आवश्यक समझे परिषद की ओर से कार्य करेंगे और उसकी किसी एक या सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की रिपोर्ट परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करनी होगी।

6. प्रबंधन बोर्ड का गठन और शक्तियां

प्रबंधन बोर्ड एक सुगठित एवं संतुलित निकाय होगी जो तत्काल सुविचारित निर्णय लेगी और उस पर अमल करेगी तथा संकटपूर्ण स्थितियों में ठीक प्रकार से समाधान निकालेगी।

(1) शक्तियां

प्रबंधन बोर्ड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारिणी निकाय होगा तथा निहित शक्तियों के अतिरिक्त निम्नांकित शक्तियां रखेगा:

(i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के राजस्व तथा संपत्ति का प्रबंधन, प्रशासन तथा विशिष्ट रूप से उल्लेखित न होने पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक मामलों का संचालन;

(ii) अध्यापन तथा अन्य अकादमिक पदों का सृजन तथा इसके आधार पर संख्या तथा कैडर, योग्यता तथा परिलब्धियों के साथ यू.जी.सी. के मानदंडों के अनुरूप वित्त समिति के सहयोग से;

(iii) चयन समिति की संस्तुतियों पर प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर तथा आवश्यकतानुसार अन्य अकादमिक स्टाफ की भर्ती;

(iv) अकादमिक परिषद के परामर्श से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अन्य स्टाफ की सेवा शर्तों तथा ड्यूटी का निर्धारण;

(v) प्रोफेसर इमेरिट्स, विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग अध्येता, राष्ट्रीय अध्येता तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति;

(vi) कैडर अनुसार या फिर अन्य प्रकार से प्रशासनिक, अकादमिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन तथा वित्त समिति के सहयोग से नियुक्ति;

(vii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अंदर अनुशासन बनाये रखना तथा आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;

(viii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, संपत्ति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन तथा नियंत्रण एवं इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अभिकरणों की नियुक्ति;

(ix) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की शिकायत को सुनना और आवश्यकता पड़ने पर उसका निवारण करना;

(x) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिये संप्रतीक तथा सील का चयन तथा उसके प्रयोग और सुरक्षा का प्रावधान;

(xi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपनियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति, अभ्यागत अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कारों की संस्थापना;

(xii) प्राप्तियां तथा भुगतान करना;

(xiii) इन उद्देश्यों के लिये प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदान शक्तियों समेत उपयुक्त समिति की स्थापना और ऐसी समितियों में उपयुक्त व्यक्तियों का सहयोग;

(xiv) लेखा परीक्षक की नियुक्ति;

(xv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के खाते या खातों का भारतीय स्टेट बैंक या इसके सहयोगी बैंक या फिर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलना तथा इसके लिये पद्धति का निर्धारण;

(xvi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, चल संपत्ति, व्यापार तथा अन्य मामलों का प्रबंधन;

(xvii) अनुदान, दान, अंशदान, उपहार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, शुल्क तथा अन्य प्रकार के शैक्षिक लाभ प्राप्त करने हेतु तथा अनुदान तथा दान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति इत्यादि प्रदान करने हेतु निधि के लिए अपील करना;

(xviii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों हेतु अगर आवश्यक हो तो उपयुक्त निबंधन और शर्तों के अनुरूप भूमि, भवन या कार्य को क्रय करना, लीज़ पर लेना या उपहार या अन्य किसी प्रकार के रूप में स्वीकार करना तथा इनमें परिवर्तन, रख-रखाव करना;

(xix) भारत सरकार तथा अन्यों में वचन पत्र, विनिमय पत्र, चैक तथा अन्य परकाम्य लिखित का आहरण तथा स्वीकार्यता एवं निर्माण तथा पृष्ठांकन;

(xx) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर से चल संपत्ति का स्थानांतरण या स्थानांतरण स्वीकार करना;

(xxi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अचल संपत्ति के अधिग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान हेतु सलाह देना;

(xxii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्य हेतु भवन या भवनों, परिसर, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान करना;

(xxiii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चल और अचल संपत्ति या फिर इसके उद्देश्य के लिये अधिग्रहित की जाने वाली संपत्ति के संदर्भ में मा.सं. वि. मंत्रालय के परामर्श से समझौते तथा हस्तांतरण, अंतरण, सरकारी प्रतिभूतियों, पुन: हस्तांतरण। रेहन, पट्ट्या, बंधपत्र, लाइसेंस का निष्पादन;

(xxiv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी कारोबार के संचालन अथवा किसी कार्य निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति को उपयुक्तता के आधार पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अटर्नी नियुक्त करना;

(xxv) मा.सं.वि. मंत्रालय के परामर्श से बंधपत्र, रेहन, वचनपत्र या अन्य वचन या प्रतिभूति जो कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भूमि तथा संपत्ति पर आधारित है, धन उगाहना तथा उधार लेना या फिर इसके बगैर उपयुक्त निबंधन तथा शर्तों के साथ ऋण वापसी तथा उगाही हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निधि से प्रासंगिक व्यय का भुगतान करना;

(xxvi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की निधि या धन को उपयुक्तता के आधार पर प्रतिभूतियों में निवेश करना और समय-समय पर किसी भी निवेश में परिवर्तन करते रहना;

(xxvii) निम्नांकित निधि को संभालना;

(i) केंद्रीय या राज्य/विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई समस्त धनराशि;

(ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी शुल्क तथा अन्य प्रभार;

(iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा उपहार, दान, वसीयत या हस्तांतरण के रूप में प्राप्त धन तथा;

(iv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रूप या स्रोत से प्राप्त धन;

(xxviii) वित्त समिति के परामर्श से निधि की सभी धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक या इसके सहयोगी बैंकों या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराना;

(xxix) उपयुक्त लेखा तैयार करना तथा अन्य प्रासंगिक रिकार्ड तैयार करना तथा प्रत्येक पिछले वर्ष के तुलनपत्र समेत वार्षिक लेखा अधिनियम और उपनियमों के अनुसार वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना;

(xxx) उपयुक्तता के अनुसार उपनियमों के अंतर्गत शिक्षण, अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य स्टाफ के लिये पेंशन, जीवन बीमा, ग्रेजुएटी तथा अन्य निधि/योजना की संस्थापना तथा संघ, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्टाफ तथा विद्यार्थियों के हित हेतु संस्थापना तथा संघ, संस्था, निधि, ट्रस्ट, हस्तांतर, इत्यादि के लिये सहयोग;

(xxxi) अपनी सभी शक्तियों को अपने द्वारा या कुलपति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गठित समिति या उप–समिति का प्रत्यायोजन करना;

(xxxii) अकादमिक परिषद की सलाह पर विभाग, अनुभाग तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्य तथा प्रकार्य केंद्रों की स्थापना;

(xxxiii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों डिग्री तथा डिप्लोमा के लिये परीक्षा आयोजित करना तथा इनका परिणाम घोषित करना एवं डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तथा अन्य अकादमिक उपाधियां तथा योग्यताएं प्रदान करना;

(xxxiv) छात्रावास तथा अतिथिगृह समेत आवासीय संपत्तियों की स्थापना तथा रख–रखाव;

(xxxv) पाठ्यक्रम लेखकों, संयोजकों, परीक्षकों, संचालक तथा सारणीकार समेत परीक्षाओं के लिये नियुक्त कार्मिकों हेतु अकादमिक परिषद तथा वित्त समिति के सहयोग से परिलब्धियों, यात्रा तथा अन्य भत्तों का निर्धारण;

(xxxvi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्वयं के छात्रावास तथा अन्य अभिकरणों द्वारा प्रबंधित छात्रावास को मान्यता, नियंत्रण तथा निरीक्षण;

(xxxvii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों के लिये विकास कार्यक्रमों को तैयार करना;

(xxxviii) शुल्क के भुगतान तथा अन्य प्रभार तथा इनकी मांग हेतु अधिनियम बनाना तथा संशोधन करना;

(xxxix) समय-समय पर 1961 के आयकर अधिनियम 1961 में सुधार के अनुसार धारा 11(2), 11(3) तथा 11(5) में मौजूद प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में आवश्यकता न होने पर अतिरिक्त निधि को निवेश करना;

(xl) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा तथा बजट आकलन तैयार करना;

(xli) अन्य सभी उन शक्तियों का प्रयोग और ड्यूटी का निष्पादन जो कि निगम ज्ञापन और नियम में उल्लेखित है तथा;

(xlii) प्रबंधन बोर्ड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारिणी निकाय होगी और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सरल और प्रभावी संचालन के लिये सभी आवश्यक निर्णयों के लिये शक्तियों का इस्तेमाल करेगी।

(2) प्रबंधन बोर्ड की संरचना:

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड में निम्नांकित सदस्य होंगे

(i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति — अध्यक्ष - पदेन;

(ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित तीन सदस्य;

(iii) मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य

(iv) अध्यक्ष, वि.अ. आयोग द्वारा नामित एक सदस्य

(v) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय के डीन तथा उपयुक्तता तथा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में रा.वि. के संकाय के दो सदस्य (प्रोफेसर तथा सह-प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर)

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रबंधन बोर्ड के सचिव होंगे।

(3) सदस्यता की अवधि

पदेन सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य तीन वर्ष के लिये पद पर रहेंगे तथा पुनः नियुक्ति के योग्य होंगे।

(4) प्रबंधन बोर्ड की बैठकें

i) प्रबंधन बोर्ड वर्ष में दो बार बैठक करेगा तथा इसके लिए नोटिस दस दिन पहले जारी किया जायेगा।

ii) प्रबंधन बोर्ड की बैठक में कोरम पूरा करने हेतु प्रबंधन बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

iii) सदस्यों में मतभेद होने पर बहुसंख्यकों की राय मानी जायेगी।

iv) प्रबंधन बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा और अगर किसी प्रश्न के समान वोट पड़ते हैं तो प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष का वोट निर्णायक वोट होगा।

v) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

vi) बैठकों में रखे गये कार्यों को छोड़कर ऐसा कोई भी आवश्यक कार्य जिसका निष्पादन प्रबंधन बोर्ड को करना है, उसे बोर्ड के सदस्यों के बीच परिपत्र द्वारा जारी किया जाएगा और इस प्रकार का संकल्प जिसे सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया है और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, उतना ही प्रभावी तथा बाध्य होगा जितना कि इसे प्रबंधन बोर्ड की बैठक में पारित किया गया है।

परन्तु संकल्प पर प्रबंधन बोर्ड के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की। अगर कुलपति या फिर अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अतिरिक्त कोई सदस्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति प्राप्त करता है, वह प्रबंधन बोर्ड की तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहता/रहती है तो ऐसे सदस्य प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता खो देंगे।

7. स्थायी समिति तथा प्रबंधन बोर्ड द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति

(i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियम ओर उपनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधन बोर्ड संकल्प द्वारा स्थायी समिति या सह-समिति या तदर्थ समिति या समिति इन उद्देश्यों तथा ऐसी शक्तियों के साथ जिन्हें प्रबंधन बोर्ड किसी भी शक्ति या शक्तियों के प्रयोग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु अथवा जांच या फिर किसी मसले पर सलाह देने के लिये उपयुक्त समझे नियुक्त कर सकता है।

(ii) प्रबंधन बोर्ड जिन व्यक्तियों को उपयुक्त समझेगी उन्हें स्थाई समिति या तदर्थ समिति में सहयोजित कर सकता है।

8. प्रबंधन बोर्ड की शक्तियों का प्रत्योजन

प्रबंधन बोर्ड संकल्प द्वारा कुलपति या फिर स्थाई समिति या तदर्थ समिति के किसी अन्य अधिकारी को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे, बशर्ते कि कुलपति या स्थायी समिति या तदर्थ समिति के संबंधित अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन कीगई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

9. अकादमिक परिषद

अकादमिक परिषद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रधान अकादमिक निकाय होगी तथा निगम ज्ञापन, नियम के उपनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता के मानदंड, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श, अंतरविभागीय समन्वयन परीक्षा इत्यादि पर नियंत्रण रखेगा तथा इनके लिये उत्तरदायी होगी तथा इस प्रदत्त और

निर्धारित नियम और उप-नियमों के अंतर्गत अन्य शक्तियों तथा कर्त्तव्य का निर्वहन करेगी।

1) अकादमिक परिषद की सदस्यता

अकादमिक परिषद के सदस्य निम्नांकित होंगे:-

i) कुलपति - अध्यक्ष - पदेन;

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय के डीन;

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;

iv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र से जुड़े तीन विख्यात शिक्षाविद् जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और अध्यक्ष द्वारा नामित हों।

v) विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त उपयुक्तता/योग्यता तथा वरिष्ठता के अंतर्गत चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा नामित राष्ट्रीय विद्यालय का एक सह-प्रोफेसर

vi) उपयुक्तता/योग्यता तथा वरिष्ठता के अंतर्गत चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा नामित सहायक प्रोफेसर

vii) शैक्षणिक स्टाफ के अतिरिक्त अकादमिक परिषद द्वारा क्षेत्र विशेष में विशिष्टता प्राप्त सह-योजित तीन व्यक्ति जो शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य न हों।

पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों की सदस्यता तीन वर्ष के लिए होगी।

2) अकादमिक परिषद के कार्य तथा शक्तियां

अकादमिक परिषद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी तथा विहित सभी कार्य और शक्तियों के अलावा उसके निम्नांकित शक्तियां तथा कार्य भी होंगे:-

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्य का सामान्य निरीक्षण करना तथा शोध तथा अन्य कर्यक्रमों (एम.फिल, पी एच-डी, पोस्ट डाक्टोरल आदि) के

लिए उम्मीदवारों के चयन अनुसंधान अनुदेशण, मूल्यांकन या अनुसंधान या अकादमिक क्षेत्र में सुधार का मार्ग दर्शन करना।

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंदर अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा अनुसंधानों की समय-समय पर रिपोर्ट लेना।

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी इत्यादि तथा प्रशिक्षण के प्रासंगिक, गुणवत्तायुक्त तथा प्रभावी वितरण के बारे में राय देना तथा सुनिश्चित करना।

iv) अपने प्रयास पर अकादमिक रूचि के मसलों पर विचार करना या फिर प्रबंधन बोर्ड के सुझाव पर तथा उपयुक्त कार्रवाई करना।

v) उपनियमों के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन के लिये आवश्यक व्यवस्था करना।

vi) परीक्षाओं का स्तर सुनिश्चित करना।

vii) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों की डिग्री तथा डिप्लोमा को मान्यता देना तथा उनका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के डिग्री तथा डिप्लोमा के समकक्ष मान्यता देना।

viii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री डिप्लोमा के लिये पाठ्यक्रम तैयार करना।

ix) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षक, संचालक, सारणीकार, तथा अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करना।

x) विभागीय समन्वयन के लिये उपाय सुझाना।

xi) प्रबंधन बोर्ड को निम्नांकित पर सुझाव देना।

(a) अध्ययन, प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसंधान के सुधार हेतु उपाय

(b) अध्येतावृत्ति, मानद आचार्य, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कारों इत्यादि की स्थापना।

(c) विभागों/प्रभागों/केन्द्रों की स्थापना करना और बंद करना

(d) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अकादमिक कार्य प्रणाली, अनुशासन, आवासीय, प्रवेश, परीक्षा, अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति, फ्री-शीप, रियायत, उपस्थिति इत्यादि से संबंधित उप-नियम

xii) प्रबंधन बोर्ड द्वारा संदर्भित विशिष्ट मसलों पर सुझाव हेतु उपसमिति का गठन करना

xiii) उपसमिति की संस्तुतियों पर विचार करना तथा (प्रबंधन बोर्ड को संस्तुत करने सहित) प्रत्येक मामले में यथास्थितियों के मद्देनज़र कार्यवाही करना

xiv) विभागों की गतिविधियों की पाक्षिक रूप से समीक्षा करना तथा अकादमिक स्तर में सुधार तथा स्थायित्व के लिये उपयुक्त कार्रवाई करना (प्रबंधन बोर्ड को संस्तुत करने सहित)

xv) अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग तथा उन ड्यूटी का निर्वहन जो नियम और उप-नियमों के अन्तर्गत हों।

xvi) वित्त समिति के सिफारिशों के परामर्श से अध्यापन पदों प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर इत्यादि की सिफारिश करना

xvii) परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम लेखकों, पाठ्यक्रम समन्वयकों, परामर्शकर्त्ता, संचालक, सारणीकारों तथा अन्य ऐसे कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा यात्रा भत्ता प्रबंधन बोर्ड को संस्तुत करना।

xviii) अनुशासन, प्रगति तथा प्रशिक्षुओं और छात्रों की प्रगति तथा स्वास्थ्य का पर्यवेक्षण

xix) विभिन्न यू.जी.सी. मानदंडों तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपनियम और अधिनियमों के अनुरूप राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित करना।

xx) अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु निर्दशन देना।

3) अकादमिक परिषद की बैठकें

i) अकादमिक परिषद आवश्यकतानुसार बैठक करेगी परन्तु शैक्षणिक सत्र में कम से कम दो बैठकें करेगी।

ii) अकादमिक परिषद के एक तिहाई सदस्य बैठक का कोरम पूरा करेंगे।

iii) बैठक से पहले रखे गये कार्य को छोड़कर कोई भी आवश्यक कार्य जिसका निष्पादन प्रबंधन बोर्ड को करना है, बोर्ड उसे लिए अपने सदस्यों के बीच परिपत्र जारी करेगा और ऐसा इस प्रकार का संकल्प जिसे सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया है और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, उतना ही प्रभावी तथा बाध्य होगा कि जैसे इसे प्रबंधन बोर्ड की बैठक में पारित किया गया। परन्तु इसके लिये प्रबंधन बोर्ड के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों ने कम प्रकट किया हो। अगर कुलपति या फिर अध्यापकों के प्रतिनिधित्वों के अतिरिक्त कोई सदस्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक नियुक्ति प्राप्त करते हैं या अगर प्रबंधन बोर्ड की तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे सदस्य प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता खो देंगे।

10. वित्त समिति

वित्त समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:

i)	कुलपति	अध्यक्ष–पदेन
i)	अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो व्यक्ति	सदस्य
iii)	कुलपति द्वारा नामांकित एक व्यक्ति	सदस्य
iv)	वित्त सलाहकार, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि तथा वित्त अधिकारी	सदस्य

vi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

(1) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल

पदेन सदस्यों के अलावा वित्त समिति के सभी सदस्यों की सदस्यता तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(2) वित्त समिति की शक्तियां तथा कार्य

i) वित्त समिति वर्ष में दो बार लेखा परीक्षा तथा व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करना।

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा वित्तीय आकलन विचार हेतु वित्त समिति के समकक्ष रखे जाएंगे तत्पश्चात् अनुमोदान हेतु वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ प्रबंधन बोर्ड को सौंपा जायेगा।

iii) वित्त समिति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आय और संसाधन के आधार पर कुल आवर्ती व्यय तथा कुल गैर-आवर्ती व्यय की सीमा तय करेगी।

iv) वित्त समिति की अनुमति के बगैर बजट में प्रावधान के अलावा किसी भी प्रकार का व्यय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

v) प्रबंधन बोर्ड को सभी प्रकार के पदों के सृजन हेतु संस्तुति देना।

11. चयन समिति

1) उपनियमों के अनुसार प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रबंधन बोर्ड को संस्तुति हेतु प्रबंधन बोर्ड को संस्तुति हेतु चयन समिति होगी।

2) प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर तथा सहायक आचार्य के नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे

i) कुलपति - अध्यक्ष-पदेन

ii-iv) बाहरी विशेषज्ञ (सह-प्रोफेसर तथा सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति) हेतु अध्यक्ष द्वारा नामित

v-vii) पद से संबंधित क्षेत्र के कुलपति द्वारा नामित दो बाहरी विशेषज्ञ

3) चयन समिति की बैठकें

i) चयन समिति की बैठकें चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

ii) चयन समिति में दो विशेषज्ञों समेत चार सदस्य कोरम पूरा करेंगे।

iii) अगर प्रबंधन बोर्ड चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसे इसका कारण बताना पड़ेगा तथा अंतिम निर्णय के लिये अध्यक्ष के पास भेजा जायेगा।

12. अध्ययन बोर्ड

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:

i) कुलपति – अध्यक्ष
ii) डीन – संकाय
iii) विभागाध्यक्ष
iv) कुलपति द्वारा नामित सह–प्रोफेसर तथा एक सहायक प्रोफेसर
v) प्रारंभ में कुलपति द्वारा दो व्यक्तियों को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। बाद में अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजन किया जायेगा।

अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कार्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपनियमों के अनुसार निर्धारित होंगी।

13. शिकायत निवारण तंत्र

व्यक्तिगत शिकायत निवारण हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था उप–नियमों के अनुसार की जायेगी।

14. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारी

i) अध्यक्ष – मा.सं. वि. मंत्री
ii) कुलाधिपति
iii) कुलपति
iv) डीन–संकाय
v) कुलसचिव
vi) वित्त अधिकारी; तथा
vii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी जिन्हें उपनियमों के द्वारा अधिकारी घोषित किया गयी है।

1) अध्यक्ष

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कार्यालय के प्रभावोनुसार एक अध्यक्ष होगा जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। मा.सं.वि. मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे।

2) कुलाधिपति

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कुलाधिपति की नियुक्ति करेगा। कुलाधिपति अपने कार्यालय के प्रभावानुसार, अगर उपस्थित हुए तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत-समारोह में उपाधियां प्रदान करेंगे।

3) कुलपति

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पूर्णकालीन वेतन भोगी कर्मचारी होंगे। भारत सरकार, मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा कुलपति के चयन हेतु गठित तीन सदस्यीय खोज समिति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन करेगी। खोज-समिति का गठन इस प्रकार होगा।

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष

ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामित विख्यात शिक्षाविद्

iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष

अगर अध्यक्ष खोज समिति द्वारा सुझाए गए किसी नाम पर संस्तुति नहीं देते हैं तो वे नया पैनल गठित कर सकते हैं।

कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

अवधि समाप्त हो जाने के बाद कुलपति छह महीने तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया उत्तराधिकारी घोषणा के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करता।

इसके अतिरिक्त कुलपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त हो जायेगा अगर वह कार्यकाल के दौरान ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या फिर विश्वविद्यालय के कुलपति के लिये निर्धारत आयु प्राप्त कर लेता है।

अगर कुलपति का कार्यालय मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण या फिर बीमारी

या अन्य कारण से रिक्त होता है तो डीन और अगर डीन नहीं है तो विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्रोफेसर वर्तमान कुलपति के पद पर वापिस आने तक फिर नये कुलपति की नियुक्ति तक कुलपति की सभी ड्यूटी निभायेगा

कुलपति की शक्तियां तथा कार्य

i) कुलपति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रधान अकादमिक तथा कार्यकारिणी अधिकारी होगा तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मामलों पर अनुश्रणव तथा नियंत्रण रखेगा और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा।

ii) कुलपति, अगर विचार करता है कि किसी मसले पर तुरन्त कार्रवाई करनी है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियम और अधिनियम/उप नियम तथा निगम ज्ञापन के अंतर्गत किसी प्राधिकारी पर प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, या फिर इसके हेतु कार्रवाई और संबंधित प्राधिकारियों को इन मसलों पर कार्रवाई की सूचना देगा।

अगर प्रबंधन बोर्ड यह विचार करता है कि ऐसा निर्णय न लिया जाये तो वह इस मामले को अध्यक्ष के पास भेज सकता है। अध्यक्ष निर्णय अंतिम होगा। अगर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी नियमों के अंतर्गत कुलपति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्णय की सूचना के प्राप्ति दिन से तीस दिन के भीतर प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है और इसके बाद प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा लिये गये निर्णय की पुष्टि, सुधार या फिर बदल सकता है।

iii) कुलपति प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति तथा चयन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

iv) यह कुलपति का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निगम ज्ञापन, नियमों, उपनियमों का पालन और क्रियान्वयन किया जाये और इसके लिये उसके पास सभी आवश्यक शक्तियां होगीं।

v) कुलपति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर नियंत्रण रखेगा और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के निर्णय को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा।

vi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में रख-रखाव और अनुशासन हेतु सभी आवश्यक शक्तियां कुलपति के पास निहित रहेंगी।

vii) कुलपति के पास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियम, उप-नियम तथा अधिनियम के अनुसार सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य कार्यों को क्रियान्वित करेगा।

viii) कुलपति प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

ix) कुलपति के पास अधिकार होगा कि वह अपनी कुछ शक्तियों का वितरण प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृति तथा सहमति से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपे।

x) कुलपति के पास अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों की बैठक बुलाये।

xi) कुलपति के पास अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय की एककों का पुर्नगठन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभागों के रूप में करे जिससे कि वर्तमान एकक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो सकें।

xii) कुलपति के पास उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में व्याप्त वर्तमान संकाय स्थिति का पुनः नामोद्दिष्ट हेतु उचित कदम उठाने का अधिकार होगा।

पारगमन प्रावधान

यू.जी.एस. एक्ट, 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नीपा को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए जारी अध्यादेश कि तारीख के दिन से नीपा के निदेशक पद पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति के पद पर उसके वर्तमान नीपा, निदेशक के कार्यकाल समाप्त होने तक रहेगा, या भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश तक, जो भी बाद में हो।

4) विभागाध्यक्ष/डीन

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक डीन/विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कुलपति चक्रानुक्रम में उपयुक्तता/आयुक्तता एवम् वरिष्ठता के आधार पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार करेगा।

अगर विभाग का प्रोफेसर उपलब्ध नहीं होगा तो कुलपति सह–प्रोफेसर को विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

ii) डीन/विभागाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और एक बार पुन: विभागाध्यक्ष बनने के लिये योग्य होगा।

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपनियमों के अंतर्गत संकाय के डीन/विभागाध्यक्षों की नियुक्ति, शक्तियां तथा कार्य निर्धारित होंगे।

5) कुलसचिव

I) कुलसचिव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होगा और प्रबंधन बोर्ड द्वारा निम्नांकित चयन समिति की संस्तुतियों पर नियुक्त किया जायेगा:

i) कुलपति – अध्यक्ष

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का एक प्रतिनिधि

iii) अध्यक्ष द्वारा प्रबंधन बोर्ड का एक नामित व्यक्ति

iv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ

II) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा की अवधि और शर्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपनियमों के अनुसार होगी।

III) अगर कुल सचिव का पद खाली होगा या फिर कुलसचिव अस्वस्था या फिर अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होगा तो कुलसचिव के कार्यों का निर्वहन कुलपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जायेगा।

IV) कुलसचिव परिषद, प्रबंधन बोर्ड तथा अकादमिक परिषद का पदेन सचिव होगा परंतु इनमें से किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

V) कुलसचिव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा।

VI) कुलसचिव के कार्य निम्नांकित होंगे:

i) प्रबंधन बोर्ड द्वारा सम्मिलित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों तथा अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक कुलसचिव होगा।

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की तरफ से सभी प्रकार का कार्यालीन पत्राचार

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु नोटिस जारी करना तथा सभी समिति तथा उपसमिति जो कि इनमें से किसी प्राधिकारी द्वारा गठित की गई हो जिनका सचिव, कुलसचिव हो, की बैठक बुलाना।

iv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों तथा इनके द्वारा नियुक्त सभी समितियों तथा उपसमितियों की बैठकों का कार्यवृत्त बनाना।

v) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये व्यवस्था एवं निरीक्षण।

vi) न्यायालय में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विरूद्ध दायर याचिका या कार्रवाई में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, पावर आफ आटर्नी पर हस्ताक्षर करना, पैरवी करना या फिर इस उद्देश्य के लिये प्रतिनिधि भेजना।

vii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर से समझौता ज्ञापन, समझौता-पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर करना तथा रिकार्ड रखना।

viii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पुस्तकों रिकार्ड तथा दस्तावेजों को अपने अभिरक्षा में लेना।

ix) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के भवन, बगीचा, कार्यालय, कैन्टीन, कार तथा अन्य वाहन, प्रयोगशाला पुस्तकालय, पठन कक्ष, उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा तथा रख-रखाव

x) प्रबंधन बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर विशिष्ट रूप से सौंपे गये कार्यों का निर्वहन

6) वित्त अधिकारी

i) वित्त अधिकारी नीपा का पूर्वकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होगा और निम्नांकित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

1) कुलपति – अध्यक्ष

2) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का नामांकित सदस्य

3) कुलपति द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ

4) वित्त सलाहकार, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार

ii) उपनियमों के अंतर्गत वित्त अधिकारी का वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें।

iii) वित्त अधिकारी कुलपति के निरीक्षण में कार्य करेगा और कुलपति के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा।

iv) प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रणानुसार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निवेश के मद्देनजर वह वित्त समिति तथा प्रबंधन बोर्ड की लेखा का वार्षिक आकलन तथा विवरण रिपोर्ट तैयार करके जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

v) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपनियम, नियम तथा अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य कार्य।

vi) अगर वित्त अधिकारी का पद खाली हो या वित्त अधिकारी बीमारी या किसी अन्य कारण से कार्यालय नहीं आ पा रहा हो तो वित्त अधिकारी की ड्यूटी कुलपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा निभाई जायेगी।

7) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारी

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी/कर्मचारी।

ii) सभी कर्मचारी समय-समय पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बदलते सेवा नियमों के तहत कार्य करेंगे।

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत या फिर इससे संबंधित किसी मसले पर समय-समय पर संशोधित या फिर उसके तद्नुसार पुराने नियमों के प्रावधान के अंतर्गत कार्य करेंगे।

पारगमन प्रावधान

अगर नियमों में विशिष्ट रूप से उल्लेखन न हो, तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी तथा अधिकारी का वही पदनाम, वेतन, सुविधाएं रहेंगी जो यू.जी.सी. एक्ट 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नीपा को मानित विश्वविद्यालय घोषणा करने से पूर्व जारी अध्यादेश से पहले थीं।

15. वरिष्ठता सूची

i) इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पद या फिर किसी प्राधिकरण का सदस्य चक्रानुक्रम के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर होगा इस प्रकार की वरिष्ठता उस ग्रेड के व्यक्ति की लगातार सेवाओं को देखते हुए और समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर होगी।

ii) यह कुलसचिव का दायित्व होगा कि वह, जिन लोगों पर यह नियम लागू होगा, उसके अनुसार एक संपूर्ण अद्यतन वरिष्ठता की सूची तैयार करे।

iii) अगर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के पास किसी विशेष ग्रेड में समान अवधि की सेवा होती है या फिर संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों की वरिष्ठता संदेह में है तो कुलसचिव अपने आप या फिर किसी के अनुरोध पर अंतिम निर्णय हेतु प्रबंधन बोर्ड को सौंप सकता है।

16. शक्तियों का वितरण

इन नियमों और उपनियमों के अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियां किसी भी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को सौंप सकता है परन्तु दशा यह होगी कि इससे संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के पास ही पूर्ण शक्ति रहेगी।

17. सदस्यता को लेकर विवाद

अगर इससे संबंधित कोई विवाद उठता है कि कोई व्यक्ति की नियुक्ति, चयन या फिर वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की किसी समिति या प्राधिकरण की सदस्यता रख सकता

है या नहीं तो मामला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के संबंध में मामला अध्यक्ष के पास जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

18. केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निरीक्षण का अधिकार

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निरीक्षण का अधिकार भारत सरकार के पास होगा कि वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के भवन साज-समान, प्रयोगशाला, उपकरण तथा परीक्षा, शिक्षण तथा अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कराये और अगर आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वित्त और प्रशासन के किसी मामले विशेष के संदर्भ में भी जांच करा सकती है।

ii) भारत सरकार प्रत्येक केस में नोटिस द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी मामले की जांच या निरीक्षण करा सकती है और नोटिस प्राप्त होने पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आवश्यक समझता है तो भारत सरकार को प्रतिवेदन दे सकता है।

iii) अगर भारत सरकार जांच या निरीक्षण का आदेश देती है तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपने प्रतिनिधि द्वारा स्पष्टीकरण देने के लिये योग्य होगी।

iv) भारत सरकार इस प्रकार के निरीक्षण या जांच का परिणाम सलाह के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपेगी जो कि प्रबंधन बोर्ड को इसकी सूचना देगा।

v) प्रबंधन बोर्ड जांच या निरीक्षण से संबंधित संप्रेषण या प्रस्तावों को गंभीरता से लेगा तथा भारत सरकार को की गई या फिर की जाने वाली कार्रवाई से अवगत करायेगा।

vi) जहां प्रबंधन बोर्ड, पर्याप्त समय में, निर्णय द्वारा भारत सरकार को संतुष्ट न कर पाये, ऐसी दशा में भारत सरकार दिये गए स्पष्टीकरण या प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुये निर्देश देगी तथा प्रबंधन बोर्ड को इसका अनुपालन करना होगा।

19. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अकादमिक गतिविधियों की समीक्षा

i) अगर आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों या इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित समिति के द्वारा की जायेगी।

ii) समिति की रिपोर्ट पर मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार विचार करेगी। प्रतिकूल मूल्यांकन पर मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को निर्णयों का अनुपालन निर्धारित विशिष्ट अवधि में उठाने के लिये निर्देश जारी कर सकता है, निर्णयों के अनुपालन न होने पर मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार के पास अधिकार होगा कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने वाले अध्यादेश के प्रतिसंहरण हेतु सिफारिश करे।

20. त्यागपत्र

किसी भी प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त कोई भी सदस्य त्यागपत्र कुलसचिव को पत्र के माध्यम से दे सकता है और केस अनुसार प्रबंधन बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकारने के साथ ही यह प्रभावी हो जाएगा।

21. बैठकों के कार्यवाहक अध्यक्ष

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की बैठक या समिति या कोई समिति की अध्यक्षता के लिये अगर प्रावधान नही है या फिर प्रस्तावित अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य आपस में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

22. कुछ कार्यों, निर्णयों का विधिमान्यकरण

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या निर्णय निम्नांकित कारणों से अवैध नहीं हो सकता:

i) किसी भी रिक्त पद के कारण या फिर संविधान में किसी त्रुटि के कारण; या

ii) सदस्य के रूप में कार्यरत किसी सदस्य के नामांकन की नियुक्ति संदर्भ में; या

iii) मामले की गुणवत्ता पर प्रभाव न डाल रहे किसी प्रकार की अनियमितता पर

23. अयोग्यता

1) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का चयनित सदस्य अयोग्य होगा, अगर

   i) अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है

   ii) अगर उसे न्यायालय ने नैतिक अधमता का दोषी पाया है।

2) अगर उपरोक्त के माध्यम से किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराने के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो इसे अंतिम निर्णय के लिए अध्यक्ष के पास सौंप दिया जायेगा और उसक निर्णय अंतिम होगा तथा इसके विरूद्ध कोई भी मुकदमा दीवानी अदालत में दायर नहीं किया जायेगा।

24. अनियत रिक्त पदों की नियुक्ति

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या समिति के सदस्यों के अनियत रिक्त पदों (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) की भर्ती व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जो नियोक्ता या सदस्य के रिक्त पद पर सहयोजित सदत्य रहा है, को सुविधा अनुसार तुरन्त करनी होगी तथा नियुक्त व्यक्ति या सहयोजित सदस्य ऐसी समिति या प्राधिकरण का सदस्य पहले सदस्य के शेष समय तक रहेगा।

25. उपनियम

निगम ज्ञापन तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधन बोर्ड के पास व्याप्त शक्तियों के अतिरिक्त शक्ति होगी कि वह सभी या फिर निम्नांकित मामलों पर उपनियम तैयार कर सके:

i) केंद्रीय/क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना तथा आवासीय परिसर

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन संबंधित

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट के लिये पाठ्यचर्या

iv) अकादमिक पुरस्कारों की घोषणा (डिग्री तथा डिप्लोमा) तथा विशेष योग्यता

v) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट में प्रवेश

vi) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की नियुक्ति, परिणामों का अनुमोदन तथा प्रचालन

vii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, मेडल, पुरस्कार इत्यादि की संस्थापना तथा दशाओं का निर्धारण

viii) छात्रों में अनुशासन बनाये रखना

ix) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखना

x) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास परिसर तथा स्वास्थ्य की दशा

xi) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्टाफ की सेवाओं की शर्तों तथा अवधि का निर्धारण, वर्गीकरण, परिलब्धियां, नियुक्ति की विधि

xii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, अकादमिक स्टाफ तथा अन्य स्टाफ की पेंशन, भविष्यनिधि, बीमा इत्यादि का गठन

xiii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक किसी भी समिति या निकाय का सृजन, संगठन तथा प्रकार्य

xiv) बजट आकलन की तैयारी तथा प्रस्तुति

xv) किसी भी प्राधिकरण या समिति की बैठक का आहवान हेतु प्रक्रिया

xvi) किसी भी समिति या प्राधिकरण की बैठक की प्रक्रिया का निर्धारण

xvii) किसी अन्य निकाय का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में गठन

xviii) निगम ज्ञापन और नियम के तहत उपनियमों के अंतर्गत अन्य सभी मामले परन्तु छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा अनुशासन, प्रवेश नामांकन एवम शर्तों,

नियुक्ति की प्रक्रिया तथा निरीक्षकों की ड्यूटी, परीक्षाओं का संचालन एवं मानदण्ड के संबंध में उपनियमों को बनाने में अकादमिक परिषद की सलाह अनिवार्य होगी।

26. निर्वचन खंड

निगम ज्ञापन और नियम तथा उपनियम के विचारों के निर्वचन में विरोधाभास की स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

27. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संपत्ति का प्रयोग इसक उद्देश्य हेतु

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आय तथा संपत्ति का प्रयोग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंतर्गत अनुदान के संदर्भ में।

28. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संपत्ति तथा आय के लाभ द्वारा भुगतान तथा स्थानांतरण पर रोक

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आय तथा संपत्ति के भाग का कोई भी भुगतान या स्थानांतरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभांश, बोनस या किसी और तरीके से किसी भी व्यक्ति या संगठन को जो कि पहले या वर्तमान में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का सदस्य हो, को नहीं किया जायेगा। इस प्रावधान के अतिरिक्त कि यहां उस भुगतान को नहीं रोका जायेगा जो कि किसी सदस्य या व्यक्ति को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिये सेवाएं प्रदान करने के लिये दिया गया है।

29. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आय और संपत्ति के विघटन पर समायोजन

अगर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विघटन होता है तो सभी प्रकार के देयतंत्र तथा ऋण चुकता करने के बाद कोई भी शेष संपत्ति को किसी को भी भुगतान या वितरित नहीं किया जायेगा परन्तु इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्धारणानुसार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जायेगा।

30. निधि, लेखा, लेखा परीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

i) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की निधि का इस्तेमाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के हेतु ही किया जायेगा।

ii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लेखों राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर तैयार किये जायेंगे न कि किसी विशिष्ट ट्रस्ट या समिति के नाम जो कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को प्रायोजित कर रहा हो अथवा नहीं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लेखे इस प्रकार तैयार किये जायेंगे जैसा कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्देश तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लेखा, नियंत्रक महालेखा, महापरीक्षक भारत सरकार के लिये परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

iii) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण में सभी निधि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लेखा में अलग से दर्शाई जायेंगी।

iv) संसद के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा रिपोर्ट भारत सरकार को लेखा वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के भीतर भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी जायेंगी।

v) आय तथा व्यय लेखा तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वार्षिक लेखा का लेखा परीक्षण नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के परामर्श से प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी।

31. विधिक कार्यवाही

i) 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के खण्ड 6 के प्रावधान हेतु विश्वविद्यालय कुलसचिव के नाम से मुकदमा चलाएगी अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।

ii) निगम ज्ञापन, नियम या उपनियम के अनुपालन में कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसी भी कार्य या संबंधित मंशा के लिये केंद्रीय सरकार, यू.जी.सी., राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के किसी सदस्य के नाम पर नहीं होना चाहिए।

32. नियमों में परिवर्तन, संशोधन तथा योग

सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन, जो कि वर्तमान में लागू है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियमों और उपनियमों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति के पश्चात परिवर्तन संशोधन तथा समायोजन हेतु परिवर्तन और संशोधन किया जा सकता है।

33. विघटन

सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 और भारत सरकार के अनुमोदन से समिति का विघटन प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जा सकता है, ऐसे विघटन से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सभी संपत्ति एवं देयता सरकार में निहित होंगी तथा उस पर उसी प्रकार कार्रवाई की जायेगी जिस प्रकार सरकार निर्देश देगी।

34. कठिनाइयों का समाधान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकारी और प्रशासकों के स्टाफ कालेज तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के नाम से योजना और प्रशासनिक विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कार्य समझे जाएंगे।

◆ ◆ ◆

सत्यापित किया जाता है कि यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की परिषद कि दिनांक 30 अगस्त 2006 को विशेष बैठक में अनुमोदित निगम ज्ञापन और नियम की सही पुस्तिका है।

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(एस.के. रे)	**(तपस मजुमदार)**	**(वेद प्रकाश)**
सदस्य	सदस्य	सदस्य